वादी की और से लालचन्द देवर्थ अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से दलीप बसेर अधिवक्ता आज दिनांक 30.12.20 को अपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धार 88 के अन्तर्गत वादी प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है कि:– तहसील हनुमानगढ के चक नं 7 एन डी आर–ए के प0न0 166/399 (33) के कि0न0 1/0.012, 2/0.177, 3 ता 7 प्रत्येक 0.253, 8/0.144, 14/0.051, 15/0.228 = 1.8470 है0, प0न0 167/339 (32) कि0न0 1 ता 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक 0.253 है0, 20/0.165, 22/0.075, 23/0.228 = 3.251 है0 दोनो पत्थरों की = 5.0980 है0, पत्थर नं 166/338 (22) कि0न0 2/2/0.063, 9, 12, 19 प्रत्येक 0.253 है0, 22/2/0.2400 = 1.0620 है0 चक नं 1 एम डब्लयू पत्थर नं 167/340 (13) कि0न0 16, 17, 18, 19, 20 प्रत्येक 0.253 है0, 21/1, 22/1, 23/2, 24/1, 25/1, प्रत्येक 0.228 है0 = 2.4050 है0 कुल दोनों चको की 8.5650 है0 मय गैरमुमकिन भूमि में वादीगण प्रभूदयाल, देशराज व भागीरथ को 6/7 हिस्सा के ब.हि.ब. के एंव प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र को 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 30.12.20..को मेरे हस्ताक्षर व मोहर आदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner